

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 673/14

संस्थापन दिनांक : 25.07.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला  
भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—नरेन्द्रसिंह उर्फ नरेशसिंह पुत्र रामप्रकाश परमार  
उम्र 36 साल निवासी चार शहर का नाका इन्द्रानगर,  
नहर रोड बालाजी हाउस थाना हजीरा जिला ग्वालियर

— अभियुक्त

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20.05.14 को 21:00 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड बंजारे का पुरा मंदिर के पास थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर वाहन सफारी क्रमांक एम.पी.-07-सी.बी.-2831 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कर दलवीर अ0सा02 में टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.05.14 को फरियादी दलवीर अ0सा02 अपनी ऑटो से गुरीखा थाना मालनपुर रिश्तेदारी गांव के हिसाब से बछिया में गया था। गुरीखा से वापिस उसके साथ सोनू तौमर अ.सा. 1 अपनी गांव बिजपुरी ऑटो से जा रहे थे तथा ऑटो फरियादी दलवीर अ0सा02 चला रहा था। समय रात्रि करीब 9 बजे जैसे ही वह बंजारे के पुरा मंदिर के पास हाईवे रोड पर पहुंचे तभी भिण्ड तरफ से सफारी गाड़ी नंबर एम0पी0-07-सी.बी. 2831 का आरोपी चालक अपनी गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी ऑटो में सामने से टक्कर मार दी जिससे उसके दाहिने तरफ माथे में

भौंह, आंख, गाल व ठोड़ी के नीचे दाहिनी जांघ, बांये घोंटू में तथा शरीर में जगह-जगह चोटें लगीं। तत्पश्चात् फरियादी दलवीर अ0सा02 ने थाना गोहद चौराहे में देहाती नालिसी प्र0पी-1 पर सूचना दी जिस पर आरोपी के विरुद्ध एफ. आई.आर. दर्ज कराई जिस पर से अप0क0 136/14 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :-
  1. क्या आरोपी ने दिनांक 20.05.14 को 21:00 बजे भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड बंजारे का पुरा मंदिर के पास थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर वाहन सफारी क्रमांक एम.पी.-07-सी.बी.-2831 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया ?
  2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कर दलवीर अ0सा02 में टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का सकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी दलवीर अ0सा02 ने कथन किया है कि वह आरोपी नरेन्द्र को नहीं जानता है और न ही पहचान सकता है। एक वर्ष पूर्व रात्रि 9-10 बजे वह अपने ऑटो से ग्राम नौनेरा से ग्राम बिजपुरी जा रहा था। तब बिरखड़ी के पास एक्सीडेंट हो गया था। उसके साथ ऑटो में कोई नहीं था और ऑटो का डाइवर नरेन्द्र था। भिण्ड की ओर से आ रही एक सफेद रंग की चार पहिया गाड़ी तेज चलती हुई आई जिसकी रोशनी उसकी आंखों में पड़ी थी जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। वह गाड़ी कौन सी थी उसका नंबर क्या था वह नहीं जानता है। दुर्घटना में उसके चेहरे पर दांये तरफ और पांव में चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दुर्घटना कारित करने वाली गाड़ी सफारी क्रमांक एम. पी.-07-सी.बी.-2831 थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-2 में भी दिए जाने से इंकार किया है। वह नहीं कह सकता कि आरोपी नरेन्द्रसिंह ने दुर्घटना कारित की थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि सोनू अ0सा01 उसके साथ था। जिसने एक्सीडेंट करने वाले को देख लिया था और स्वतः कथन किया है कि सोनू अ0सा01 दंदरौआ से बस से आ रहा था और जब जाम लग गया तब उसने देखा था और दुर्घटना कारित करने वाला तुरंत भाग गया था।
6. सोनू अ0सा01 ने कथन किया है कि वह आरोपी महेन्द्र को नहीं जानता है। दिनांक 20.05.14 को वह और उसका बड़ा भाई भूरा दंदरौआ से चौराहे पर गाड़ी से आ रहे थे। चौराहे पर उन्हें दलवीर अ0सा02 मिला फिर उसके साथ

वह गांव जा रहा था तब बंजारे के पुरा पर एक सफेद सफारी गाड़ी क्रमांक एम.पी.-07-सी.बी.-2831 स्पीड से आ रही थी जिसने सामने से टैक्सी में टक्कर मार दी। टैक्सी में वह और दलवीर अ0सा02 थे। दलवीर के मुंह, ठोड़ी और पैर पर चोट आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि गोहद चौराहे से वह दलवीर अ0सा02 के साथ ऑटो में जा रहा था तब रात्रि नौ-साढ़े नौ बजे बंजारे के पुरा के पास हाइवे रोड पर भिण्ड की ओर से सफारी गाड़ी क्रमांक एम.पी.-07-सी.बी.-2831 के चालक ने अपनी गाड़ी को तेजी व उतावलेपन से चलाकर दलवीर अ0सा02 के ऑटो में टक्कर मार दी थी।

7. वाहन स्वामी रामप्रसाद अ0सा03 ने कथन किया है कि वह आरोपी नरेन्द्र को जानता है और इस सुझाव को स्वीकार किया है कि गाड़ी क्रमांक एम.पी.-07-सी.बी.-2831 उसके स्वामित्व की गाड़ी है और कथन किया है कि दिनांक 20.05.14 को उसकी गाड़ी कोई नहीं चला रहा था। प्रमाणीकरण प्र0पी-3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी नरेश सिंह उसका ड्राइवर है जो दिनांक 20.05.14 को उसकी गाड़ी चला रहा था।
8. अभियोजन मामले में घटना के प्रत्यक्ष साक्षी मात्र दलवीर अ0सा02 व सोनू अ0सा01 है। आहत दलवीर अ0सा02 ने वाहन क्रमांक एम.पी.-07-सी.बी.-2831 के द्वारा उसकी दुर्घटना कारित किए जाने से इंकार किया है वह आरोपी नरेन्द्रसिंह द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने के संबंध में भी कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है। इस साक्षी ने सोनू अ0सा01 का घटनास्थल पर होना बताया है परन्तु बस में से जाम लगने के कारण घटना देखना बताया है। लेकिन सोनू अ0सा01 ने इसके विपरीत कथन किया है कि वह कार से अपने भाई के साथ था और स्वयं दलवीर अ0सा02 के ऑटो में बैठ गया था। अतः दोनों साक्षीगण ने परस्पर अलग-अलग तथ्य बताये हैं और सोनू अ0सा01 ने आरोपी नरेन्द्रसिंह द्वारा दुर्घटना कारित करना नहीं बताया है।
9. दलवीर अ0सा02 ने सामने आ रही गाड़ी की रोशनी आंख में पड़ने के कारण दुर्घटना होना बतायी है और लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चालक द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने का कथन नहीं किया है और न ही इस बिन्दु पर अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित किया गया है। अतः उक्त कथन अभियोजन पर बंधनकारी है। अतः दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के उपेक्षापूर्वक परिचालन का कथन आहत दलवीर अ0सा02 ने नहीं किया है।
10. उक्त दोनों साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रत्यक्ष साक्षी अभियोजन मामले का नहीं है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में धारा 160 मोटरयान अधिनियम के अधीन सुसंगत रामप्रसाद अ0सा03 ने वाहन क्रमांक एम.पी.-07-सी.बी.-2831 के स्वामी होते हुए उक्त वाहन घटना दिनांक को आरोपी नरेश सिंह द्वारा ही चलाये जाने से स्पष्ट इंकार किया है। अतः परिस्थितिजन्य तथ्यों से भी घटना के समय वाहन क्रमांक एम.पी.-07-सी.बी.-2831 आरोपी के नियंत्रण में होने का तथ्य सिद्ध नहीं होता है।
11. अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 20.05.14 को 21:00 बजे भिण्ड ग्वालियर

हाईवे रोड बंजारे का पुरा मंदिर के पास थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर वाहन सफारी क्रमांक एम.पी.-07-सी.बी.-2831 को सार्वजनिक स्थान पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कर दलवीर अ0सा02 में टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।

12. परिणामस्वरूप आरोपी को धारा 279, 338 भा.द.स. के आरोपित आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
13. आरोपी के जमानत व मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।
14. प्रकरण में जप्त सफारी वाहन क्रमांक एम.पी.-07-सी.बी.-2831 आवेदक रामप्रतापसिंह की सुपुर्दगी में है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)